कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक/पीए/आयुक्त/2009/ 488 दिनांक :– 6/4/2009

कार्यालय आदेश

राजस्थान नगर सुधार शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974 के अन्तर्गत सार्वजनिक, चेरीटेबल संस्थाओं को रियायती दरों पर भूमि आवंटन करने के संबंध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 14.02.05 द्वारा बिन्दु संख्या 10 एवं 17 में निम्न निर्देश दिये गये है :–

बिन्दु संख्या 10 :– **"प्रत्येक वर्ष के माह अप्रैल में आवंटन प्राधिकारी यथा जयपुर विकास प्राधिकरण, न्यास एवं नगरपालिकाओं द्वारा जिन संस्थाओं को पूर्व में भूमि आवंटित की गई है उनका सर्वे करवाया जावेगा। जहां भूमि रिक्त पाई जावे अथवा संस्था द्वारा आवंटन की शर्तो का उल्लंघन पाया जाने पर आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी"।**

बिन्दु संख्या 17 :– **"राज्य सरकार द्वारा जिन शैक्षणिक संस्थाओं/ अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक भवनों हेतु रियायती दर पर भूमि आवंटित की जाती है उनमें ऐसी महिलाएं एवं उनके पति जो आयकरदाता नहीं हैं अथवा बी.पी.एल. कार्ड धारक है, उन महिलाओं एवं उनके परिवारजनों को फीस/शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की रियायत संबंधित संस्थान द्वारा दी जावेगी"।**

उपरोक्तानुसार यह निर्देश दिये जाते है कि प्रभारी अधिकारी आवंटन शाखा श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ दिनांक 21.04.09 तक सभी संस्थाओं जिन्हे पूर्व में भूमि आवंटन की गई है का सर्वे करवायेंगे एवं आवंटन की शर्तो का उल्लंघन पाया जाने पर नियमानुसार आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही करेंगे।

परिपत्र के बिन्दु संख्या 17 के संबंध में समस्त संस्थाओं को पत्र जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करवायेंगे।

परिपत्र के बिन्दु संख्या 10 एवं 17 के अनुसार प्रभारी अधिकारी आवंटन शाखा पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 21.04.09 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

क्रमांक/पीए/आयुक्त/2009/ दिनांक :–

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सहायक अध्यक्ष महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ प्रभारी अधिकारी आवंटन शाखा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. श्री रघुवीर माथुर लिपिक आवंटन शाखा, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(गौरव गोयल)
आई.ए.एस.
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर